संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,

सतपुडा–भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश

क्रमॉक/1–जी/विज्ञप्त/सेल–संविदा/18/ भोपाल,दिनांक /01/2018

–:: आदेश ::–

चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय प्रस्तुत किये गये अनिवार्य सेवा के बंधपत्र के अनुक्रम में प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर से वर्ष 2017 में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण किये निम्नलिखित बंधपत्र स्नातकोत्तर चिकित्सकों की पदस्थापना तत्काल प्रभाव से एक वर्ष की अवधि के लिये कॉलम क्रमाक "4" में दर्शाए गये पदस्थापना स्थान पर की जाती है–

क्रं.	चिकित्सक का नाम	विषय	पदस्थापना स्थान
1	2	3	4
1	डॉ. हिमांशी बंसल	माइक्रोबायोलॉजी	जिला चिकित्सालय भिण्ड।
2	डॉ. अभिषेक कुमार जैन	माइक्रोबायोलॉजी	जिला चिकित्सालय राजगढ़।
3	डॉ. संजय सिंह	माइक्रोबायोलॉजी	सिविल अस्पताल व्यावरा, राजगढ़।

उपरोक्त चिकित्सक निम्नलिखित शर्तो के अधीन कार्य करेंगे :–

1/ आदेश दिनांक से 15 दिवस के अन्दर आपको अपनी उपस्थिति पदस्थापना जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अनिवार्य रूप से देनी होगी। इनका कार्यकाल उपस्थिति दिनांक से प्रारंभ हो कर 01 वर्ष की अवधि हेतु होगा।

2/ उपर्युक्त सेवा अवधि में स्नातकोत्तर चिकित्सकों को पत्रोपाधि (डिप्लोमा) हेतु एक मुश्त पारिश्रमिक रूपये 38,000/–प्रतिमाह प्राप्त होगा ।

3/ चिकित्सकों को एक आकस्मिक अवकाश प्रतिमाह की पात्रता होगी । आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश जैसे अर्जित, असाधारण अवकाश आदि की पात्रता नही होगी ।

4/ चिकित्सक को दैनिक कार्य की जानकारी माह के अंत में संस्था प्रमुख को प्रस्तुत करना होगी ओर उसके आधार पर ही मानदेय के भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

5/ राज्य शासन आपकी यह अनिवार्य ग्रामीण सेवा 07 दिन का नोटिस देकर समाप्त कर सकेगा किन्तु आपके द्वारा किसी भी स्थिति में निर्धारित अवधि के पूर्व सेवा नही छोड़ी जा सकेगी और ऐसा करने की स्थिति में बंधपत्र निष्फल माना जावेगा ।

6/ उपर्युक्त पदस्थापना निश्चित अवधि के लिये है। इस सेवा अवधि के आधार पर चिकित्सक को नियमित नियुक्ति या वरिष्ठता, वेतन वृद्वि आदि संबंधी कोई अधिकार प्राप्त नही होगे।

7/ चिकित्सक को पदस्थापना की संस्था के प्रमुख के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करना होगा और कार्य अवधि में चिकित्सक पर आचरण के संबंध में निम्न बंधन रहेगें।

(एक) पूर्ण रूप से संनिष्ठ रहेगा,
(दो) कर्तव्य परायण रहेगा,
(तीन) ऐसा कोई कार्य नही करेगा जो उसके पद के लिए अशोभनीय है।

8/ पदस्थापना स्थान में कोई परिवर्तन नही किया जाएगा।

9/ आवश्यकता न होने पर उपर्युक्त अनिवार्य सेवा कभी भी एक माह की सूचना देकर समाप्त की जा सकेगी। समयपूर्व सेवा समाप्ति के बदले किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नही होगी।

D:\sunil\Order.doc

10/ उक्त चिकित्सकों का प्राथमिक एवं मुख्य दायित्व ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान करना है। पदस्थ चिकित्सकगण संस्था प्रमुख के निर्देशों के अनुसार नियमित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवायें प्रदान करेगें।

11/ चिकित्सक को आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपनी उपस्थिति संस्था में प्रस्तुत करना होगी। निर्धारित दिनांक तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर या इस आदेश की शर्तो का उल्लघंन करने पर, बंधपत्र के अनुसार विधिक कार्यवाही की जावेगी।

12/ उपर्युक्त कार्य अवधि में मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम,1965 आपके ऊपर लागू होगा। इस अवधि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करना होगा।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित।

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमॉक/1—जी/विज्ञप्त/सेल—संविदा/18/133 भोपाल,दिनॉक 25/01/2018

प्रतिलिपि — सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र.।
2. प्रमुख सचिव म0प्र0शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र.।
3. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र.।
4. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल ।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल म0प्र0।
6. क्षैत्रिय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर एवं भोपाल म0प्र0।
7. कलेक्टर भिण्ड एवं राजगढ़ म0प्र0।
8. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म0प्र0।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भिण्ड एवं राजगढ़ म0प्र0।
10. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, भिण्ड एवं राजगढ़ म0प्र0।
11. प्रभारी एम.आई.एस.स्थानीय कार्यालय की और पोर्टल पर अपलोड हेतु।
12. संबधित बंधपत्र स्नातकोत्तर चिकित्सक की ओर पालनार्थ।

25/1
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

D:\sunil\Order.doc